द्‌वितीय अध्याय

कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूपगत विवेचन

प्रास्ताविक :

कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का स्वरूपगत विवेचन करने से पहले कोल्हापुर दूरसंचार के ऐतिहासिक परिपार्श्व में कोल्हापुर में दूरध्वनि की सुविधा का आरंभ कब और किसके द्वारा हुआ से लेकर मार्च, २००२ को कोल्हापुर दूरसंचार जिले में दूरध्वनियों की संख्या कितनी हुई आदि तक का विवेचन करना विषय की पूर्वपीठिका एवं भूमिका की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगा।

२.१ कोल्हापुर दूरसंचार का ऐतिहासिक परिपार्श्व :

कोल्हापुर में सन १८९९ में छत्रपति शाहू महाराज(तत्कालीन रियासतदार) के पास दूरभाष क्रमांक था । लोकराजा शाहू छत्रपति नामक मराठी पुस्तक में लिखा है- "प्लेग के प्रतिरोधि कार्य में गति लाने के लिए छत्रपति शाहूजी पन्हाला से कोल्हापुर और वहाँ से रेसिडेंसी तक टेलीफोन की सुविधा पहली बार कोल्हापुर में लाए । (प्लेगच्या विरोधात चाललेल्या कार्याला वेग यावा म्हणून शाहू छत्रपतींनी पन्हाळा ते कोल्हापुर आणि रेसिडेंसी अशी टेलीफोनची व्यवस्था प्रथमच कोल्हापुरात आणली.)"[१]

महल के कनेक्शन के बारे में दूरसंचार कार्यालय में पहला रिकार्ड मिलता है, "वह है- दि. ६/११/१९४० का। यह कनेक्शन ए.डी.सी., न्यू पैलेस के नाम पर मिलता है और दूरभाष क्रमांक है २०।" [२] उसके पश्चात सन १९७३ में महल से प्राप्त आवेदनों में दूरभाष क्रमांक २० और सन १९८० में ६०२० क्रमांक का उल्लेख मिलता है। सन १९८९ के पत्र में दूरभाष क्रमांक २६०२० का उल्लेख मिलता है। सन १९९३ में कोल्हापुर दूरसंचार में अत्याधुनिक इलेक्टॉनिक दूरध्वनि केंद्र ई-१०बी का कार्यान्वयन हुआ। तब से महल का दूरध्वनि क्रमांक६५६०२० है ।

सन १९४६ के कोल्हापुर के दैनिक " पुढारी" में इस प्रकार की वार्ताएँ मिलती हैं-
"पोस्टल कामगारों की नागरिकों को बिनति- कोल्हापुर ता. २९: अखिल भारतीय पोस्टमेन और लोअर ग्रेड स्टाफ(आर.एम.एस.समेत) युनियन के आदेश के अनुसार न्याय बारा माँगों के लिए दि. ११

---

१. डा. रमेश जाधव-लोकराजाशाहू छत्रपति, पृष्ठ-८८

२. कोल्हापुर दूरसंचार-रिकार्ड रूम में स्थित दूरभाष क्रमांक ६५६०२० की फाइल

जुलाई से कोल्हापुर के कामगार एकजूट होकर हड़ताल पर हैं । (पोस्टल कामगाराची नागरिकांना विनंति-कोल्हापुर ता. २१:अखिल भारतीय पोस्टमेन आणि लोअर ग्रेड स्टाफ(आर.एम. एस. सह) युनियनच्या आदेसानुसार न्याय्य अशा बारा मागण्यांसाठी ता. ११ जुलै पासून कोल्हापुरातील कामगार अेकीने संपावर आहेत.)"[१] दूसरी वार्ता-"कोल्हापुर ता. ६: कोल्हापुर के पोस्टल कामगार काम पर हाजिर हो गए। (कोल्हापुर ता.६ : कोल्हापुरचे पोस्टल कामगार कामावर हजर झाले.)"[२]

उस समय पोस्ट और टेलीग्राफ दोनों विभाग एक ही थे । इस लिए पोस्टल कर्मचारियों में दूरसंचार के कर्मचारी भी निहित हैं। करीबन सन १९७२-७३ तक दूर-संचार विभाग महाडाकपाल (पोस्ट मास्टर जनरल) के अधीन था। सन १९७४ में दूरसंचार स्वतंत्र विभाग हो गया। सन १९४४ में कोल्हापुर में दो दूरध्वनि केंद्र थे । कोल्हापुर रियासत का लोकल एक्स्चेंज और दूसरा ब्रिटीश सरकार का ट्रंक एक्स्चेंज । रियासत का दूरध्वनि केंद्र टाउन हॉल गार्डन में और ब्रिटीश सरकार का दूरध्वनि केंद्र कसबा बावड़ा इलाके में था । हँड जनरेटरवाले १ ट्रंक बोर्ड पर तत्कालिन रियासतदार के महल से भी एक कनेक्शन था । महल के दूरध्वनि का उत्तर देते समय "मुजरा महाराज" कहने की पद्धति थी ।

रियासत का टाउन हॉल स्थित दूरध्वनि केंद्र मार्च-अप्रैल, १९५३ में बंद किया गया और भारत सरकार का कसबा बावड़ा स्थित दूरध्वनि केंद्र उस स्थान पर लाया गया। सन १९६०-६१ में दैनिक पुढारी कार्यालय के सामने स्थित अपनी जगह पर दूरसंचार विभाग ने दूरध्वनि केंद्र का निर्माण किया। तब तक कोल्हापुर दूरसंचार अभियांत्रिकी पर्यविक्षक, फोन्स(याने आज का कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी पद) के अधीन था। सन १९६१ में उप-मंडल अधिकारी, टेलीग्राफ पद का सृजन हुआ। पहले उप-मंडल अधिकारी कोरवार साहब थे। सन १९६८ में मंडल अभियंता, टेलीग्राफ के सृजन के साथ कोल्हापुर दूरसंचार मुख्यालय हो गया। पहले मंडल अभियंता वेंकटेश्वरन साहब थे। सन १९६९-७० में कागलकर बंगले(आज का अयोध्या टॉवर्स) में दूसरा शाहूपुरी स्थानीय दूरध्वनि केंद्र खोला गया। सन १९७० में ताराबाई पार्क में खरीदी जमीन पर टेलीफोन भवन का निर्माण शुरु हो गया। सन १९७६ में माननीय रत्नाप्पा कुंभारजी के शुभहस्ते टेलीफोन भवन का उद्घाटन हो गया। २६ मार्च, १९७७ में कोल्हापुर दूरसंचार ऑटो एक्स्चेंज में परिवर्धित हो गया और कोल्हापुर दूरसंचार का विस्तार तेज गति से

---

१. दैनिक पुढारी-३० जुलाई, १९४६ का अंक, पृष्ठ-१

२. दै. पुढारी-७ अगस्त, १९४६ का अंक, पृष्ठ-१

होने लगा।

१७ फरवरी, १९८१ में मंडल अभियंता, फोन्स पद मंजूर हुआ। पहले मंडल अभियंता, फोन्स तिलक साहब थे। १८ फरवरी, १९८४ में ट्रंक दूरध्वनि केंद्र टेलीफोन भवन में स्थानांतरित हुआ। सन १९९४ में १ लाख दूरध्वनि कनेक्शन का लक्ष्य पार करने के पश्चात महाप्रबंधक पद का सृजन हो गया। कोल्हापुर दूरसंचार के पहले महाप्रबंधक श्री. चि. नित्यानंदम थे। १ अक्तूबर, २००० से दूरसंचार विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड में परिवर्तित हो गया। दूरसंचार विभाग के लिए यह परिवर्तन एक मील का पत्थर है। कोल्हापुर दूरसंचार आज समय के साथ है। मार्च, २००२ के अंत तक जिले में कुल कार्यरत दूरभाष क्रमांक २,००,०३५ हैं। कुल कार्यरत दूरध्वनि केंद्र३०८ हैं। आयनेट, इंटरनेट आदि अत्याधुनिक सेवाओं के साथ "www.kolhapur.dotindia.com" वेबसाइट का निर्माण करके कोल्हापुर दूरसंचार ने अपने लक्ष्य को पा लिया है। अब कोल्हापुर दूरसंचार के सामने लक्ष्य है सन २००२ के अंतिम चरण तक मोबाइल सेवा को कार्यान्वित करना।

२.२ हिंदी अनुभाग का प्रारंभ :

कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी अनुभाग का सूत्रपात जुलाई, १९९० से हुआ। कोल्हापुर दूरसंचार के भूतपूर्व हिंदी अनुवादक श्रेणी III एवं वर्तमान सहायक निदेशक (राजभाषा), नासिक श्री. बी.एस.नकवाल प्रश्नावली के उत्तर में लिखते हैं कि "कोल्हापुर में या अन्यत्र हिंदी अनुभाग का विधिवत आरंभ नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी का पदधारी जब भी तैनात किया जाता है, उसी समय हिंदी अनुभाग कार्यरत हो जाता है-अर्थात १६/०७/१९९० से।"[1]

अतः उपर्युक्त बात से परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी अनुभाग का प्रारंभ १६ जुलाई, १९९० से हिंदी अनुवादक श्रेणी III के कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के साथ हुआ।

२.३ हिंदी पदों की संख्या और नियुक्तियाँ :

दि. ४/०१/१९९२ को सहायक अभियंता(प्रशासन), कोल्हापुर ने सहायक निदेशक, मुंबई को पत्र लिखा था-" कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी का कोई पद खाली नहीं है, क्योंकि हिंदी अनुवादक का

---

१. परिशिष्ट-४

जो एक पद मंजूर है वहाँ भर्ती की गई है। कामकाज की मात्रा के आधार पर एक पद हिंदी अधिकारी, एक पद हिंदी अनुवादक श्रेणी III और एक पद हिंदी टंकक-इन तीन पदों की न्यायोचित माँग के संबंध में आपके कार्यालय को पत्र भेजा है। जिसका पत्र क्रमांक है-केटीडी/स्टाफ-२९/२ दि.१९/०७/१९९१। (There is no Hindi post lying vacant in this Telecom District, as one Hindi Translator has already been posted against one post of Hindi Translator sanctioned for this Telecom District. Further necessary justification based on workload as on 1/04/1991 for sanction of one post of (1) Hindi Officer (2) Hindi Translator grade III and (3) Hindi Typist(ie. one in each cadre) has already been sent under this office letter No.-KTD/ STAFF-29/2 Dated the 19/07/1991)"[1] इस पत्र से परिलक्षित होता है कि तब हिंदी अनुवादक के एक पद पर नियुक्ति की गई थी और दि. १९/०७/१९९१ से ही एक हिंदी अधिकारी, एक हिंदी अनुवादक तृतीय श्रेणी और एक पद हिंदी टंकक-इन तीन पदों के सृजन की माँग की गई थी।

दि. १२ जुलाई, २००१ को परिमंडल कार्यालय को कामकाज की मात्रा पर आधारित हिंदी के न्यायोचित पदों की माँग(justification) के संबंध में भेजे पत्र के अनुसार-

क्र.	पद	न्यायोचित पद	मंजूर पद	आवश्यक अतिरिक्त पद
१.	हिंदी अधिकारी	०३	०१	०२
२.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	०३	--	०३
३.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	०३	०३	--
४.	हिंदी टंकक	०१	--	०१

"२

उपर्युक्त जानकारी से परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग के लिए में एक हिंदी अधिकारी एवं तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद मिलाकर कुल चार पद मंजूर हैं। किंतु दि. ३१/०१/२००१ के परिमंडल कार्यालय के पत्र के अनुसार-"हिंदी अनुवादक तृतीय श्रेणी के मंजूर तीन पदों में से २ पद रद्द किए गए हैं।"[3] याने हिंदी अनुभाग के लिए आज मात्र दो पद मंजूर हैं-एक पद हिंदी

१. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, केटीडी/स्टाफ-२९४/५ कोल्हापुर दि.४/०१/१९९२
२. -वही -, केटीडी/स्टाफ-२९२/३४ कोल्हापुर दि. १२ जुलाई, २००१
३. -वही -, केटीडी/स्टाफ-२९३/२० कोल्हापुर दि. १२ जुलाई, २००१

अधिकारी का तथा एक पद कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का ।

हिंदी अधिकारी का पद दि. "१४/१२/१९९३"[१] से हर वर्ष एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाता रहा है। हिंदी अधिकारी का यह पद मंजूरी की तारीख से आज तक रिक्त ही है । हिंदी अनुवादक का एक पद दि. १९/०१/१९९८ तक भरा हुआ था। किंतु उस तारीख से नियुक्त कर्मचारी की "हिंदी अनुवादक श्रेणी III से श्रेणी II के पद पर पदोन्नति के साथ वेतनश्रेणी रु४५००-१२५-७००० में अस्थाई तौर पर नाशिक दूरसंचार में तबादला किया गया।"[२] तबसे दि. २५ नवंबर, १९९८ तक हिंदी अनुभाग का कामकाज. देखने के लिए कोई नियुक्त कर्मचारी नहीं था। किंतु २५ नवंबर,१९९८ से जिला स्तर पर निकाले परिपत्रक के अनुसार- "दूसरे कैडर (दूरध्वनि प्रचालक) के कर्मचारी की नियुक्ति गई ।"[३]
" दि. ३० जुलाई, २००१ को कोल्हापुर दूरसंचार में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर नियुक्ति की गई ।"[४]

अतः निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि दि. १९ जनवरी, १९९८ से दि, ३० जुलाई, २००१ तक कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। आज कोल्हापुर दूरसंचार के लिए एक हिंदी अधिकारी एवं एक हिंदी अनुवादक मिलकर मात्र दो पद मंजूर हैं। हालाँकि न्यायोचित पदों की माँग में ३ हिंदी अधिकारी, ३ वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, ३ कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं १ हिंदी टंकक की माँग की गई हैं। मंजूर दो पदों में से हिंदी अधिकारी पद मंजूरी की तारीख से खाली ही है।

२.४ राजभाषा हिंदी के प्रयोग का स्वरूप :

सरकारी कार्यालयों, निगमों और संगठनों के लिए हिंदी के प्रयोग का स्वरूप निर्धारित किया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों को "क,ख और ग" क्षेत्रों में बाँटा गया हैं और उन राज्यों में स्थित सरकारी कार्यालयों, निगमों, संगठनों के लिए हिंदी पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-स्थापना अनुभाग, क्र. केटीडी/स्टाफ-२९३/२९ कोल्हापुर दि. २४/०९/१९९९

२. – वही –, क्र. केटीडी/स्टाफ-२९४/५३ कोल्हापुर दि. १२/०१/१९९८

३. – वही –, क्र. केटीडी/स्टाफ-२९४/६८ कोल्हापुर दि. २५/११/१९९८

४. – वही –, क्र. केटीडी/स्टाफ-२९४/९२ कोल्हापुर दि. २०/०७/२००१

महाराष्ट्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के लिए १० प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत हिंदी पखवाड़े का आयोजन, हिंदी पुस्तकालय, गृहपत्रिका का प्रकाशन, प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण, तिमाही बैठकों का आयोजन, द्विभाषी मोहरें बनाना, फॉर्मों को द्विभाषा में छापना आदि अनेक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

२.४.१ हिंदी पखवाड़े का आयोजन :

कोल्हापुर दूरसंचार में सन १९९२ से हिंदी सप्ताह मनाया जाता है । किंतु उस समय के हिंदी पखवाड़े की कोई फाइल दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "संचार संदेश" के दूसरे अंक में प्रकाशित'हिंदी सप्ताह समारोह १९९३-रिपोर्ट'में लिखा है-"गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दूरसंचार जिला प्रबंधक कार्यालय में दि. १४ सितंबर से २० सितंबर, १९९३ तक हिंदी सप्ताह मनाया गया।"[1] इस सप्ताह में हिंदी पत्रलेखन, अंताक्षरी, समयस्फूर्त भाषण एवं प्रश्नमंच आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी सप्ताह का आयोजन सन १९९२ से होने लगा। उन दिनों हिंदी पखवाड़ा नहीं तो हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाता था। उसके पश्चात हर वर्ष सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता रहा है । हिंदी का प्रचार, प्रसार एवं अभ्यास हो जाय इस उद्देश्य को सामने रखते हुए निबंध-लेखन, पत्र-लेखन, शुद्ध-लेखन, शब्द-लेखन, भाषण, प्रश्नमंच आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता हैं। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले इसलिए नक़द पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सितंबर, १९९९ से हिंदी पखवाड़े की स्वतंत्र फाइल बनाई हुई दृष्टिगोचर होती है। इससे पखवाड़े की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अतः उपर्युक्त जानकारी से परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार में सन १९९२ से हिंदी पखवाड़े का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है ।

२.४.२ हिंदी पुस्तकालय :

राजभाषा नीति के अंतर्गत हर जिले को हर वर्ष हिंदी पुस्तकों की खरीदारी करने का आदेश दिया गया है। महाप्रबंधक स्तर का कार्यालय "रु. १०,०००/- की राशि तक"[2] की पुस्तकें

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "संचार संदेश"अंक-३, पृष्ठ-५

२. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, क्र. केटीडी/जी-१८/हिंदी पुस्तकें/२४ कोल्हापुर दि.२३ /०६/२००१

खरीद सकता है। कोल्हापुर दूरसंचार का हिंदी पुस्तकालय तरह-तरह के पुस्तकों से समृद्ध हैं। "मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्रकुमार, रांगेय राघव, विमल मित्र, अमृतलाल नागर, नागार्जुन, भीष्म सहानी, डा. भोलानाथ तिवारी, काका हाथरसी, यशपाल आदि हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों का चुना हुआ साहित्य संकलित है। उसके साथ ही बंकीमचंद्र चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, मिखाईल शोलोखोव, टाल्स्टॉय आदि हिंदीतर देशी-विदेशी साहित्यकारों के उत्तम अनूदित साहित्य का संग्रह किया गया है। गोदान, सेवासदन, पराया, आनंदमठ, आवाज आ रही है, नीला चाँद, श्रीकांत, गोरा, चरित्रहीन आदि उपन्यास, विमल मित्र,मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, टॉल्स्टॉय आदि की कहानियाँ, काका हाथरसी की हास्य कहानियाँ तथा हास्य काव्य, निबंध-संग्रह, अनुवाद संबंधी किताबें, गजल संग्रह, हिंदी भाषा एवं देवनागरी का इतिहास, भाषा विज्ञान, अनेक प्रसिद्ध कवियों के काव्य-संग्रह, कामायनी महाकाव्य, मुहावरा एवं लोकोक्ति कोश "[1] आदि उत्कृष्ट साहित्य संपदा से कोल्हापुर दूरसंचार का हिंदी पुस्तकालय समृद्ध बना है।

२.४.३ हिंदी गृहपत्रिका :

कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "संचार संदेश" के पहला अंक १९९१ में छापा गया है । यह पहली पत्रिका दो पन्नों के फोल्डर के स्वरूप में है। पत्रिका की शुरुआत में पत्रिका शुरु करने का उद्देश्य छापा है । उसमें इस पत्रिका को "न्यूज लेटर"[2] कहा गया है, इससे इस पत्रिका का उद्देश्य स्पष्टतः परिलक्षित होता है। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी की एक-एक कविताओं के साथ वर्ष १९९०-९१ की कार्यालयीन कामकाज की उपलब्धियाँ एवं वर्ष १९९१-९२ की योजनाएँ इसमें प्रकाशित की गई हैं। उसके बाद दूसरा अंक जुलाई-सितंबर,१९९४ में प्रकाशित किया गया है। इस पत्रिका में "कथाएँ, अंग्रेजी-हिंदी शब्द, हिंदी-मराठी कविताएँ, कोल्हापुर दूरसंचार की उपलब्धियाँ "[3] आदि विभिन्न सामग्री छापी है। मुखपृष्ठ का पिछला पन्ना, मलपृष्ठ और मलपृष्ठ का पिछला पन्ना विविध कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्रों से सजाए हैं। सन १९९५ तक यह पत्रिका त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित होती रही। इसके पाँच अंक प्रकाशित किए गए। किंतु उसके पश्चात चार साल तक पत्रिका के प्रकाशन में खंड

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, हिंदी पुस्तकों का भंडारण रजिस्टर

२. कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "संचार संदेश"अंक-१, पृष्ठ-१

३. कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "संचार संदेश"अंक-२

पड़ा और १५ अगस्त, १९९९ में चार साल के अंतराल के बाद इस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन आरंभ हुआ। छठे अंक से गृहपत्रिका का 'संचार संदेश' यह शीर्षक बदलकर 'करवीर संचार' रखा गया। हिंदी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस पत्रिका का ९वाँ अंक "राजभाषा विशेषांक"[1] के रूप में प्रकाशित किया गया। इन पत्रिकाओं में लेख, कहानी, चुटकुलें, कार्यालयीन गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी के साथ-साथ पत्रिका का मूल उद्देश्य हिंदी का प्रचार एवं प्रसार ध्यान में रखकर हर अंक में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी, हिंदी के नीति-नियमों को प्रकाशित किया जाता है।

२.४.४ हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम :

१४ सितंबर, १९४९ को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया और १४ सितंबर, १९९९ को हिंदी को राजभाषा के पदारूढ़ होकर पचास वर्ष हो गए। इस लिए १४ सितंबर, १९९९ से १४ सितंबर, २००० तक का वर्ष 'हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष' के रूप में घोषित किया गया। इसे मनाने के उपलक्ष्य में कोल्हापुर दूरसंचार में सालभर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

"१. सितंबर १९९९ की १४ तारीख से २७ तारीख तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन। हिंदी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस पखवाड़े में पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई गई। हर प्रतियोगिता के लिए प्रतिवर्ष के तीन पुरस्कारों के स्थान पर पाँच पुरस्कार दिए गए।

२. माह अक्तूबर में हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीदारी।

३. जनवरी, २००० को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के लिए स्वरचित हिंदी काव्य-प्रतियोगिता का आयोजन।

४. दि. २६ जनवरी, २००० के गणतंत्र दिवस पर डा. अर्जुन चव्हाण, हिंदी अधिव्याख्याता, शिवाजी विश्वविद्यालय के भाषण के कार्यक्रम का आयोजन।

५. वर्ष २००० के वार्षिक स्नेहसंमेलन का सूत्रसंचालन राजभाषा हिंदी में।

६. राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन : हिंदी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जागतिक दूरसंचार दिवस-१७ मई का औचित्य साधते हुए राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन।

७. दि. २७ जून, २००० को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "करवीर संचार" अंक-९

८. सन २००० साल के हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतिम दिन याने दि. १४ सितंबर, २००० को।

इस तरह से हिंदी स्वर्ण जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में उपर्युक्त विविध कार्यक्रमों का सालभर आयोजन किया गया।"[१]

२.४.५ हिंदी प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण :

प्रति वर्ष आयकर भवन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसंबर-इन दो सत्रों में प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इन सत्रों में कोल्हापुर दूरसंचार के प्रशिक्षणार्थी भेजे जाते हैं। " कुल ५७१ में से करीबन ३१८ कर्मचारी और १०५ में से ७० अधिकारियों का प्राज्ञ प्रशिक्षण पूरा हो गया है। कुल १२१ लिपिकों में से ३४ लिपिकों का टंकण प्रशिक्षण पूरा हो गया है।"[२] दि. १३ फरवरी, २००१ को प्रेषित राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार-"सभी क,ख एवं ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण वर्ष २००५ के अंत तक पूरा कर लिया जाए।"[३]

२.४.६ प्रोत्साहन परक योजनाएँ :

सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी की ओर मुड़े, उन्हें हिंदी में रूचि निर्माण हो और हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के कार्य में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने हिंदी में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए नकद पुरस्कार घोषित किए हैं। अन्य भी अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ घोषित की गई हैं। साल में २०,००० से अधिक हिंदी शब्द लिखनेवाले कर्मचारियों के लिए नकद पुरस्कार घोषित किए गए हैं। " पहला पुरस्कार ८००/-रु.का, दूसरा ४००/-रु.का एवं तीसरा ३००/-रु. का।"[४] -तीन पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है।

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार की गृहपत्रिका "करवीर संचार" का अंक-११, पृष्ठ-९,१०

२. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग,क्र. क्र केटीडी/जी-१८/प्रगति रिपोर्ट/११० कोल्हापुर दि. ९/०४/२००१

३. दि. १३/०२/२००१ को जारी गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का संकल्प

४. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय-राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक, पृष्ठ-५९

प्राज्ञ एवं टंकण प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए आने-जाने का सवारी भत्ता दिया जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात सालभर के लिए एक वेतनवृद्धि के साथ-साथ नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्राज्ञ परीक्षा में ७० तथा ७० प्रतिशत से अधिक अंक पानेवाले कर्मचारी को ६००/-रु., ६० से ६९ प्रतिशत तक अंक पानेवाले कर्मचारी को ४००/- रु., तथा ५५ से ५९ प्रतिशत अंक पानेवाले कर्मचारी को २००/-रु की नगद राशि का पुरस्कार तथा एक साल के लिए एक वेतन-वृद्धि दी जाती है। ५५ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होनेवाले कर्मचारी को मात्र एक वेतन-वृद्धि दी जाती है। कोल्हापुर दूरसंचार के अधिकतर कर्मचारी ६००/-रु या ४००/- रु के पुरस्कार के हकदार बने दिखाई देते हैं। टंकण प्रशिक्षण में १०० में से ९० या ९० से अधिक अंक प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है, अन्यथा हर उत्तीर्ण होनेवाले कर्मचारी को मात्र एक वेतनवृद्धि दी जाती है।

२.४.७ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

कोल्हापुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। "दिल्ली के बाहर प्रमुख नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के १० या इससे अधिक कार्यालय हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जाती हैं। इन समितियों के अध्यक्ष राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए जाते हैं,जो सामान्यतः नगर के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। नगर स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।"[1]

राजभाषा हिंदी के उपर्युक्त नियम के अनुसार कोल्हापुर शहर में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों ने मिलकर 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' का गठन किया है। नगर के वरिष्ठतम अधिकारी, आयकर आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय-कृत बैंक, इंशोरन्स कंपनियाँ, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण, भविष्य निधि, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र, डाकघर आदि करीबन ४८ कार्यालय समिति के सदस्य हैं। कोल्हापुर दूरसंचार भी समिति का सदस्य कार्यालय है। समिति की छमाही बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है।

---

१. गृह मंत्रालय-राजभाषा विभाग, राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक, द्वितीय संस्करण-दि. २१ फरवरी, १९९६ तक संशोधित, पृष्ठ-१८

२.४.८ राजभाषा कार्यान्वयन समितिः

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक में जिसतरह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करने संबंधी सूचनाएँ दी गई हैं, उसी प्रकार हर सरकारी कार्यालय/ निगम/उपक्रम को अपने-अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करने संबंधी सूचनाएँ दी गई हैं। कोल्हापुर दूरसंचार ने भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं- महाप्रबंधक, कोल्हापुर दूरसंचार। समिति के अन्य सदस्यों में ३ उप-महाप्रबंधक, १ वित्त एवं लेखा निदेशक, १८ मंडल अभियंता, १ मुख्य-लेखाधिकारी, ४ लेखाधिकारी, २जनसंपर्क अधिकारी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक आदि हैं। समिति की तिमाही बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है। तिमाही बैठकों का वृत्तांत परिमंडल कार्यालय, मुंबई एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजा जाता है।

२.४.९ द्विभाषी मोहरें एवं फॉर्म :

१ अक्तूबर, २००१ से दूरसंचार विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र), योजना, वाणिज्य, कार्यलेखा एवं विविध अनुभाग आदि अनुभागों के मिलाकर करीबन "५०७ हिंदी मोहरें "[1] बनवाई गई। फिर भी कुछ अनुभागों की मोहरों को हिंदी अथवा द्विभाषा में बनवाना बाकी है। प्रारूपों में कुछ प्रारूप द्विभाषी हैं, तो कुछ प्रारूपों को द्विभाषा में छपवाना आवश्यक है। विविध अनुभाग एवं ग्राहक सेवा केंद्र के प्रारूपों का विवरण निम्नांकित है-

द्विभाषी है ।	नहीं है ।
१. वेतन प्राधिकार पत्र-एसीजी १७	१. छुट्टी मेमो
२. वस्तु की खरीदारी-इंजी २७	२. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम आवेदन
३. वस्तु की खरीदारी-एसीई ३	३. भविष्य निधि अंतिम विड्रॉल आवेदन
४. पदभार देना-एसीजी ६१	४. चिकित्सा खर्चे की माँग-मेडीकल १७
५. अस्पताल भर्ती प्रमाण-पत्र	५. लोकल पब्लिक टेलीफोन सेंटर आवेदन
६. छुट्टी बढ़ाने/रोगमुक्ति का डाक्टरी प्रमाण-पत्र	६. छुट्टी बढ़ाने का आवेदन

१.कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, फाइल क्र. केटीडी/मिसले/जी-१८/हिंदी कार्यान्वयन/२१ दि.५/१२/२०००

द्विभाषी है ।	नहीं है ।
७. लघु निर्माण कार्यों की मंजूरी-इंजी ६	७. इंटरनेट रिन्यूअल आवेदन
८. माँगपत्र-इंजी ५३	८. प्रारूप क्र. ६८
९. आम समयोपरी भत्ता बिल-एसीजी ६४	९. अखिल भारतीय स्तर पर दूरध्वनि स्थानांतरण आवेदन
१०. टी.एस.समयोपरी भत्ता बिल-एसीजी ६४	१०. पासवर्ड रीसेटिंग का आवेदन
११. नये दूरध्वनि का आवेदन	११. कार्यरत लाइन का स्थानांतरण(चार कारण)
१२. यात्रा भत्ता बिल	१२. फोन प्लस सुविधा के लिए आवेदन
	१३. लंबित अवधि सेफ कस्टडी आवेदन
	१४. लोकल शिफ्ट आवेदन
	१५. तृतीय पक्ष स्थानांतरण का आवेदन

कुल २७ फॉर्मों में से सिर्फ १२ द्विभाषी हैं, १५ नहीं हैं। उपर्युक्त बातों से परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार में द्विभाषी मोहरें एवं प्रारूपों की स्थिति मध्यम है।

४.१० हिंदी पत्राचार :

हिंदी पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों को "क,ख,ग" क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र क से हिंदी मातृभाषिक प्रदेश-बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है; क्षेत्र ख से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है; क्षेत्र ग से क्षेत्र क और ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इन क्षेत्रों के लिए हिंदी पत्राचार का प्रतिशत भी निर्धारित है। क क्षेत्र के लिए १०० प्रतिशत, ख क्षेत्र के लिए ९० प्रतिशत और ग क्षेत्र के लिए ५५ प्रतिशत पत्राचार हिंदी में अपेक्षित है। महाराष्ट्र राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट है। अतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, निगमों, संगठनों के सामने ९० प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य रखा गया है। किंतु कोल्हापुर दूरसंचार का हिंदी पत्राचार का प्रतिशत मात्र "१० से २० प्रतिशत"[१] ही है। इसके संबंध में कोल्हापुर दूरसंचार के महाप्रबंधक श्री. आर.सी.कोलीजी का कहना है-"मूलतः जितने भी आदेश अथवा सूचनाएँ इत्यादि जो मुख्य कार्यालय से आती हैं उनका अंग्रेजी में होने की वजह से अधिकतर हिंदी का उपयोग नहीं हो पाता।"[२]

---

१. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, फाइल क्र. केटीडी/मिसले/जी-१८/हिंदी/प्रगति रिपोर्ट

२. परिशिष्ट-१

हिंदी पदों से संबंधित नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से संबंधित परिमंडल कार्यालय से प्राप्त होने वाला पत्राचार तथा जिला स्तर पर का पत्राचार भी मात्र अंग्रेजी में होता है, हिंदी अथवा द्विभाषा में नहीं। अन्य विषयों से संबंधित संचार मंत्रालय, परिमंडल कार्यालय से प्राप्त परिपत्रक, पत्र आदि भी अधिकतर अंग्रेजी में ही होते हैं। इससे हिंदी के आवक पत्रों का प्रतिशत न के बराबर है। उसी प्रकार जावक पत्रों का प्रतिशत भी मात्र १० से २० प्रतिशत तक ही सीमित है। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं, किंतु स्व-प्रेरणा से अन्य पत्राचार हिंदी में करने के प्रयास नहीं किए जाते।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन-विश्लेषण से निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी पुस्तकालय, हिंदी पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन आदि उपक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होता है। द्विभाषी प्रारूपों, हिंदी टंकण एवं प्राज्ञ प्रशिक्षण आदि नियमों के पालन के मामलों में कोल्हापुर दूरसंचार की स्थिति मध्यम कोटि की है, किंतु हिंदी पत्राचार के संबंध में मात्र १० से २० प्रतिशत का पत्राचार कोल्हापुर दूरसंचार की स्थिति निम्न स्तर की है इस बात की ओर दिशानिर्देश करता है।

वास्तव में हिंदी पत्राचार ही राजभाषा विषयक नीति की नींव है। बाकी सब-हिंदी पखवाड़ा मनाना, प्राज्ञ-टंकण प्रशिक्षण, हिंदी पुस्तकालय, हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन आदि अधिक महत्त्व की बातें नहीं मालूम होती। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे मात्र उद्देश्य यही है कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदी में रूचि निर्माण हो और पुरस्कारों की एवं वेतनवृद्धि की अभिलाषा से क्यों न हो वे हिंदी की ओर अपना कदम बढ़ाए । किंतु इन कार्यक्रमों की खानापूर्ति की जाती है । कोल्हापुर दूरसंचार ही नहीं तो देश के सभी सरकारी कार्यालयों को आज हिंदी में पत्राचार बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण नीति उपेक्षित न रहे, इस बात के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

***